17/1/20. पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी एवं वादीगण के अनुपस्थित। इनके लिए न्यायालय में विधिवत रूप से आवाज कर-कर लगवाई गई। इनके उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए। अतः वादीगण का वादपत्र इसी स्तर पर खारिज होती। खारिज करने खारिज किए जाने से पत्रावली पैरोकार श्रीमान नाकरे लाल की जाकर डायरी दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला-उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner